

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/8005

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 29/08/2025

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पुर्णाराम पुत्र तेजाराम
निवासी आदर्श बस्ती,
नांद तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 अलसाराम पुत्र पुराराम 2 चुतराराम पुत्र रामचन्द्रराम 3
हरुराम पुत्र पूराराम 4 कोशलाराम पुत्र पोकराराम 5 पन्नाराम
पुत्र रासीगाराम 6 मगाराम पुत्र शेराराम 7 गंगाराम पुत्र रेखाराम
8 भीयाराम पुत्र पदमाराम 9 खेताराम 10 चनणाराम 11
पुरखाराम पिसरान महेशाराम 11 लुम्भाराम पुत्र भीखाराम 14
फुसाराम पुत्र दीपराम 15 राणाराम 16 सवाईराम पिसरान
फुसाराम 17 पूनमाराम 18 भोमाराम पिसरान मेघाराम 19
उमाराम 20 चनणाराम पिसरान नवलाराम 21 जमना देवी पत्नि
नवलाराम 23 डूगरारामा 24 धनाराम पिसरान नवलाराम 24
पांची देवी पत्नि अलसाराम 25 रेखाराम 26 रायचन्द पिसरान
वालाराम जातियान जाट निवासी आदर्श बस्ती, नांद 27
प्रहलादराम गोदपुत्र राउराम जाति जाट निवासी पूर्ण नगर
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-133/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श बस्ती नांद हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 351 रकबा 10.5380 हैक्टयर, खसरा संख्या 679/344 रकबा 21.8206 हैक्टयर, खसरा
संख्या 701/362 रकबा 9.5668 हैक्टयर, व मौजा पूर्णनगर हल्का नांद तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 406/297 रकबा 15.9446 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/8006-8009

दिनांक-29/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पुर्णाराम पुत्र तेजाराम निवासी आदर्श बस्ती, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अलसाराम पुत्र पुराराम जातियान जाट निवासी आदर्श बस्ती, नांद तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर
बाड़मेर